

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर (राज0)  
 क्रमांक:- एसडीएम/ अभियान/2018/न98 दिनांक:- 3/7/2018  
 :: आदेश :: प.सं नउ1/2018


प्राथी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार, डूंगरपुर की रिपोर्ट एवं अनुशांषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सापोती, पटवारा मंडल, कोतरगञ्ज तहसील एवं जिला डूंगरपुर की जमाबंदी संवत् 2071-77 में खाता संख्या 44 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-


क्र.सं0	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	2	3	4	5
1	<u>सापोती</u>	44	<u>छात्रिणात, गणपतजात, सतीरात, हरिनात, अफरी फि. राजु वडी बेना राजु 44 हिव</u> शेठ <u>बादर</u>	<u>छात्रिणात, गणपतजात, सतीरात, हरिनात, अफरी फि. राजु वडी बेना राजु 44 हिव</u> शेठ <u>बादर</u>

क्रमांक-सन/न98

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

- 1- तहसीलदार, डूंगरपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजावे।
- 2- प्राथी श्री सतीश फि राजु
- 3- पटवारा हल्का कोतरगञ्ज

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 डूंगरपुर  
 दिनांक-03/07/2018

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 डूंगरपुर